न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/गैगेस्टर कोर्ट, रायबरेली।

दाण्डिक वाद संख्या 21/2012
राज्य बनाम अमर सिंह आदि
अप0 सं0 99/2008
धारा 307, 506 भा0 दं0 सं0 एवं
2/3 गैगेस्टर एक्ट
थाना महराजगंज
जिला रायबरेली।

<u>24.6.2019</u>

पत्रावली पेश की गयी। अभियुक्तगण अमर सिंह एवं अनुज सिंह की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। स्वीकृत। साक्षीगण अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि **वर्ष 2008** में यह मुकदमा अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। दिनांक 9.11.2010 को आरोप न्यायालय द्वारा विरचित किया गया। आरोप विरचन के **लगभग 8 वर्ष 8 माह के पश्चात** भी अभियोजन की तरफ से अब तक किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया जा सका है, जब कि आरोप पत्र में 9 साक्षीगण के नाम का उल्लेख है।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष थाना महराजगंज जिला रायबरेली द्वारा बिल्कुल लापरवाही पूर्ण तरीके से कार्य किया जाना प्रतीत होता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष की उदासीनता के कारण इस मुकदमें के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। आज पैरोकार भी न्यायालय उपस्थित नहीं हे।

अतः प्रभावी कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को निर्देशित किया जाता है कि थानाध्यक्ष थाना महराजगंज जिला रायबरेली एवे पैरोकार को न्यायालय में साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें, जिससे मुकदमें का शीघ्र निस्तारण किया जा सके।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 12.7.2019 को पेश हो।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक रायबरेली को प्रेषित की जाये।

(अरूण कुमार मल्ल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/
गैंगेस्टर कोर्ट, रायबरेली।